	(क) यदि ऐसा व्यक्ति ग्राम परिषद का सदस्य है, धारा 48 की उप धारा (2) (3) में विनिर्दिष्ट अनुसार उसके खिलाफ कार्रवाई करना; और (ख) यदि ऐसा व्यक्ति ग्राम परिषद का सदस्य नहीं है तो उस व्यक्ति से स्पष्टीकरण मांगा जाए और ऐसे को अधिभार की राशि विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर ग्राम परिषद को अदा करने का निर्देश दिया जाए और यदि विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर राशि अदा नहीं करता है तो सहायक आयुक्त निर्धारित अनुसार इसे वसूल करेंगे । (5) सहायक आयुक्त के आदेश से कोई भी व्यक्ति दुखी है तो वह उप धारा (4) के अन्तर्गत इस आदेश के जारी होने के तीस दिनों के भीतर उपायुक्त को अपील कर सकते हैं, ऐसे अपील पर उपायुक्त का निर्णय अंतिम होगा ।	
	44. (1) प्रत्येक ग्राम पंचायत पिछले वित्तीय वर्ष का प्रशासनिक रिपोर्ट पिछले वित्तीय वर्ष के समाप्त होने के तीन माह के भीतर सहायक आयुक्त को प्रस्तुत करेगा । (2) रिपोर्ट प्रथम केप्टन द्वारा तैयार किया जाएगा और इसके बाद इसे ग्राम परिषद द्वारा अनुमोदित किया जाता है, इसे ग्राम परिषद के एक संकल्प की प्रतिलिपि के साथ सहायक आयुक्त को भेजा जाएगा ।	प्रशासनिक रिपोर्ट
	अध्याय – VI **ग्राम परिषद का नियंत्रण**	
	45. उपायुक्त अथवा सहायक आयुक्त की शक्ति इस प्रकार है– (क) तलब कर सकते है – (i) ग्राम परिषद के नियंत्रणाधीन वाले ग्राम परिषद के कार्यवाही से कोई भी उद्धरण अथवा कोई भी पुस्तक, रिकार्ड, पत्राचार अथवा दस्तावेज; (ii) निरीक्षण के प्रयोजन अथवा परीक्षण हेतु कोई विवरण, योजना, प्राकलन विवरण, लेखा अथवा रिपोर्ट और; (ख) एक ग्राम परिषद की आवश्यकता पर विचार ; (i) उपायुक्त अथवा सहायक आयुक्त के पास ऐसे ग्राम परिषद द्वारा किए जा रहे विद्यमान कोई कार्य जो किया जाना है अथवा किया जा रहा है, के सम्बन्ध में कोई आपत्ति जो उपायुक्त अथवा सहायक आयुक्त के पास प्रस्तुत होती है और उसे करने से बाज नहीं आने के कारणों को बताते हुए उपायुक्त तथा सहायक आयुक्त द्वारा निर्धारित समय सीमा के भीतर उपायुक्त/सहायक आयुक्त को लिखित जवाब देना ।	कार्यवाही आदि मांगने का अधिकार